

## संसदीय विशेषाधिकारों का हनन

**स्रोत: हदिसतान टाइम्स**

राष्ट्रपति के अभिषेक पर टपिणी किये जाने के पश्चात् कुछ सांसदों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकारों, अधिकारों या उन्मुक्तियों की अवहेलना करता है या उन पर आक्षेप करता है।
- परिचय: संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सांसदों और वधायकों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त विशेष अधिकार हैं।
- स्रोत:
  - संवधान का अनुच्छेद 105, 122, 194 और 212।
  - संसदीय परंपराएँ (वर्ष 1947 की ब्रिटिश संसदीय परिषदी पर आधारित)।
  - प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम (लोकसभा और राज्यसभा)
  - न्यायिक नरिवाचन (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नरिणय)
  - सांविधिक वधियाँ (संसद द्वारा अधिनियमि वधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय विशेषाधिकारों को परभिषति करने वाला संसद का कोई अधिनियम नहीं है)।
- संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:
  - वैयक्तिक विशेषाधिकार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वधिकि कार्यवाही से उन्मुक्ति, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति आदि।
  - सामूहिक विशेषाधिकार: गुप्त बैठकें, अन्वेषण शक्तियाँ, न्यायिक उन्मुक्ति आदि।
- अनुच्छेद 87 के तहत, राष्ट्रपति, लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण नरिवाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिषेक करेगा।

और पढ़ें: संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ